[illegible]

राजस्व प्रकरण संख्याः–5/2012 दायर तारीख 13.02.2012

शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय व्यापार निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादी

बनाम

1. तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) बिजौलियां।
2. पटवारी हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 22.05.2018

:–निर्णयः–

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध विपक्षीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सलावटिया की आबादी सीमा विस्तार के लिये ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा आवेदन किये जाने पर जिलाधीश महोदय भीलवाडा द्वारा मोजा सलावटिया स्थित आ0 नं0 516 में 5 बीघा भूमि की आबादी में परिवर्तन हेतु धारा 92 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी जिसकी क्रियान्वती राजस्व अभिलेखों में जरिये नामान्तरकरण संख्या 242 के की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करा दिया गया जिसका नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.04.2011 को प्रार्थी के आवेदन पर जारी किया गया जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न है एंव वह प्रभावी नामान्तरकरण की प्रति साथ संलग्न है जो पांच बीघा पंचायत सलावटिया की मांग पर आबादी में दी गयी उसकी मौके पर नक्षे में तरमीम पंचायत की निशानदेही की जानी चाहिये थी नही की गयी इस कारण जो भूमि आबादी से प्रभावित थी वह तरमीम से बाहर हो गयी और अन्य जगह नक्शा तरमीम कर आबादी भूमि दर्शा दी गयी। इससे पूर्व भी खसरा नं0 516 मोजा सलावटिया में 5 बिस्वा भूमि की आवासीय प्रयोजनार्थ पंचायत को भूमि का आवंटन किया गया जो राज्य सरकार के आदेश से किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 118 दिनांक 03.06.1978 को खोला गया। 5 बिस्वा रकबे का आवंटन इस आवंटित 5 बीघा रकबे से अलग था। 5 बिस्वा रकबे से सटी पश्चिम दिशा की 5 बीघा भूमि पंचायत सलावटिया को आवासीय प्रयोजनार्थ दी गयी इस प्रकार ख0 नं0 516 किस्म भूमि चारागाह मे 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्व अभिलेखों में किस्म भूमि आबादी हो जाने से विकास पंचायत सलावटिया के खाते में दर्ज की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 1978 में आवासीय प्रयोजनार्थ दी गयी 5 बिस्वा भूमि को मोके पर अपने नक्शा ट्रेस में तरमीम समय पर नही किया जबकि प्रतिवादीगण समय पर नामान्तरकरण संख्या 118 के खोलते समय उसका राजस्व नक्षा ट्रेस में तरमीम करने हेतु दायित्वाधीन थे। प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा की गयी चूक को सूधारने के लिये वर्ष 1978 में आबादी में दिये जाने हेतु स्वीकृत 5 बिस्वा भूमि को उस 5 बीघा भूमि जो आवासीय उपयोग हेतु वर्ष 1983 में विकास पंचायत सलावटिया को दी गयी और जिसकी तरमीम नक्षा ट्रेस में कर दी थी। उस 5 बीघा की तरमीम में दिनांक 06.04.2011 के पश्चात 5 बिस्वा भूमि का तरमीम होना दर्शा दिया गया दिनांक 04.07.2011 को दी गयी नक्शे की प्रति में नक्शे में दर्शाये गये अंकन से स्थिति स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नक्शा ट्रेस की प्राप्त प्रति में जिस 5 बिस्वा भूमि का आबादी प्रयोजनार्थ [illegible] 1978 का था उसे ख0नं0 1265/516 की पूर्वी मेर की

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मेर के सरवेले में दक्षिणी दिशा और 5 बिस्वा रकबे की पश्चिमी मेर को जोडते हुये दर्शाया गया। 5 बिस्वा रकबे की गयी तरमीम नक्शा ट्रेस 7 बिस्वा दर्शायी हुई है। जिससे प्रतित होता है कि यह भूमि चारागाह भूमि ही होना माना जायेगा न कि आबादी की तरमीम मानी जायेगी। इस प्रकार प्रार्थी को प्रदत नक्शा ट्रेस दिनांक 06.04.2011 के नक्शे में ख0नं0 516 में दिये गये 5 बिस्वा का कोई तरमीम अंकित नही है और बाद में दिये गये दो नक्शो में उसी 7 बिस्वा रकबे को भिन्न भिन्न स्थान अंकित कर दर्शाया हुआ है। प्रतिवादीगण ने हर बार नक्शे की भिन्न भिन्न प्रतिया जारी की जो किस प्रकार दी गयी गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। प्रतिवादीगण द्वारा किस्म भूमि चारागाह जिसका रकबा 7 बिस्वा है उसे आबादी की भूमि बताना गम्भीर भूल है। तहसील बिजौलियां और पटवारी हल्का सलावटिया द्वारा नक्शा ट्रेस में अलग अलग स्थानों पर 5 बिस्वा रकबे की तरमीम बतायी जाकर आबादी भूमि बतायी जा रही है वह उनके रिकार्ड से भी गलत साबित हो चारागाह भूमि है। प्रार्थी एंव उसकी पुत्र बधू ने पूर्व पट्टेधारियो से भूमि क्रय की है। उसी पट्टे व कब्जे की भूमि को प्रतिवादी नं0 एक द्वारा आबादी क्षैत्र के बाहर की भूमि बतायी जा रही है। प्रतिवादी नं0 एक उसी गलत नोटिस को सही साबित करवाने के लिये नक्शा ट्रेस में 7 बिस्वा भूमि जो चारागाह है उसे आबादी की भूमि होना बता रहे है। जबकि आबादी भूमि वास्तव में प्रार्थी एंव उसकी पुत्रवधू के कब्जे में आयी भूमि है जो 5 बीघा में आबादी हेतु प्रदत भूमि की परिधी आती है। यह 5 बीघा भूमि वर्ष 1983 में पंचायत को आबादी हेतु प्रदान की गयी। 5 बिस्वा भूमि का सही स्थान पर वर्ष 1978 में तरमीम नही किया गया इस कारण वर्ष 1983 में आबादी हेतु दी गयी 5 बीघा भूमि की सही तरमीम मौके पर नही हो पायी और प्रार्थी एंव उसकी पुत्र वधू के कब्जे व स्वामित्व वाली पंचायत पट्टा भूमि जो 5 बीघा आबादी भूमि का वास्तविक रुप से हिस्सा है वह नक्शा ट्रेस में 5 बीघा आबादी भूमि से बाहर हो गया जबकि 5 बीघा भूमि में प्रार्थी व उसकी पुत्र वधू की खरिद सुदा पट्टे वाली भूमि पडती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये समन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

पेरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि 5 बीघा भूमि पंचायत सलावटिया की मांग पर आबादी में दी गई उसकी तरमीम अन्य जगह कर दी गई। 5 बीघा भूमि की तरमीम प्रस्तावित भूमि के अनुसार ही आवंटन होने पर सही जगह की गई है। प्रार्थी एंव उसकी पुत्र वधू के कब्जे की भूमि विवादित आबादी भूमि में नही होकर चारागाह भूमि ख0नं0 516 में है जो अतिक्रमण होने से बेदखल किया जाना न्याय संगत है। आबादी हेतु ग्राम पंचायत को दी गई 0.05 बिस्वा एंव बाद में 5 बीघा कुल 5.05 बीघा की तरमीम प्रस्ताव एुव सुपुर्दगीनामे के अनुसार ही सही की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थी व पेरोकार की बहस सूनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र एंव लिखित बहस में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से मौजा सलावटिया स्थित आराजी नं0 516 में आबादी में दी गई भूमि की सही तरमीम नक्शे में किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है क्योकि प्रार्थी का आवासीय भूखण्ड जिस पर निर्माण हो रखा है। इस ख0 नं0 में आबादी हेतु दी गई भूमि में जरिये क्रय के स्थित हो निर्माण पर लाखो रुपया लगा हुआ है। आ0नं0 516 में जिलाधीश महोदय भीलवाडा के आदेश से दो बार पंचायत **सलावटिया को आबादी में भूमि दी गई 5 बिस्वा भूमि वर्ष 1978 में दी गई एंव 5 बीघा भूमि वर्ष 1983 में दी गई। इस प्रकार कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि की नक्शे में** आबादी भूमि की तरमीम की जानी थी जो आदेश के साथ लगाये गये नक्शे के

बीघा एवं 5 बीघा की तरमीम पंचायत सलावटिया को भूमि का कब्जा दिया ...
समय नक्शे में नही की गई। केवल कब्जा सिपुर्दगी का पर्चा बना दिया जो तहसील में मौजूद है और जमाबंदी में आबादी दर्ज कर दी गई। पंचायत को आबादी उपयोग हेतु उपलब्ध कराई भूमि में पंचायत ने पट्टे जारी कर दिये गये। 5 बिस्वा भूमि को जिलाधीश द्वारा आबादी में दी गई उसके पीछे आधार यह रहा कि वहॉ पहिले से निर्माण हो रखा था क्योकि भूमि पुरानी चितौड कोटा रोड से सटी हुई थी जब निर्माण को लेकर विवाद हुआ तो पंचायत से प्रस्ताव लिया जाकर आबादी में परिवर्तन कें आदेश दिये गये पंचायत ने बाद में कब्जेधारीयों को पट्टे दे दिये। पट्टेधारियो ने या तो निर्माण कर लिया अथवा पट्टे वाली भूमि विक्रय कर दि गई। जिस पर क्रेताओ ने निर्माण करवा लिया कुछ पट्टे वाली भूमि अभी पडत पडी हुई है जिनका पूर्व में निर्माण था उस पर नियमितिकरण हो गया कि प0ह0 सलावटिया द्वारा आबादी है आवंटित 5 बिस्वा भूमि की अपने नक्शे में काफी वर्षो बाद गलत तरमीम की गई। इस कारण प्रार्थी द्वारा प0ह0 से नक्शे की प्रतिया प्राप्त की गई उनमें पहिले लिये गये नक्शे में 5 बीघा की तरमीम में 5 बिस्वा का डिब्बा बनाया जाकर उस पर ख0 नं0 1256/516 डाल दिया गया जबकि 5 बिस्वा की तरमीम जहा अभी बता रखी है वहा पंचायत को ािूमि का कब्जा नही दिया। यह 5 बिस्वा भूमि जो वर्ष 1978 में पंचायत को दी गई वह बाद में वर्ष 1983 में दी गई 5 बीघा जमीन पहिले पुरानी सडक चितौडगढ बिजौलिया सडक की तरफ है। 5 बिस्वा भूमि की तरमीम ऐसे स्थान पर कर दी जहा 1975 से पहिले मकान बने हुये थे और उस स्थान को आबादी में परिवर्तन के आदेश दिये गये। विवाद की स्थिति सामने आने पर प0ह0 ने 5 बीघा मे 5 बिस्वा का डिब्बा बनाकर बाद के क्रम के नं0 1265/516 डाल दिया इससे स्पष्ट है कि 5 बिस्वा रकबे के डिब्बे को 5 बीघा में ही बनाकर प्रार्थी को नक्शे की नकल दे दी गई व 5 बीघा रकबे को 5 बीघा 5 बिस्वा बना दिया। इसके परिणाम स्वरुप पंचायत को वर्ष 1978 में ख0नं0 516 में दी गई 5 बिस्वा में भूमि जिससे पंचायत ने भूमि के पट्टे जारी कर दे दिये गये कब्जे वाले स्थान व आराजी ख0नं0 1265/516 रकबा 5 बिस्वा वाले स्थान में काफी अन्तर दूर हो गई और बीच में वह 5 बीघा रकबे का बडा रकबा आ गया जो पंचायत सलावटिया को आबादी हेतु वर्ष 1983 में दिया गया। उस 5 बीघा रकबे को खसरा नं0 516/1 से नक्शा ट्रेस में दर्शा दिया गया। इससे यह भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि 5 बिस्वा किस्म भूमि आबादी जो वर्ष 1978 में पंचायत को दी गई उसका ख0नं0 516/1 के बाद का ख0नं0 1265/516 डाल दिया गया जो संभव ही नही है। इससे स्पष्ट है कि नक्शे की तरमीम में भारी हेराफेरी की गई है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया था कि न्यायालय पंचायत व तहसील के आदेश व नक्शा ट्रेस मगवाये जिसके द्वारा जिलाधीश महोदय ने पंचायत सलावटिया को 5 बिस्वा भूमि दिये जाने के समय कौनसी भूमि पंचायत को दी जा रही है। आदेश के साथ नक्शा लगा होता है। नक्शे में सुधार का आवेदन इसलिये दिया गया क्योकि गलत तरमीम से प्रार्थी की जायदाद जो पहिले आबादी में थी वह बाहर हो गई व अनावश्यकरुप से तहसील बिजौलिया ने उसके विरुद्व अवैध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। आबादी में परिवर्तन हेतु दिये गये आदेशो व सलग्न नक्शो के अनुसार नक्शा ट्रेस में सही स्थान पर तरमीम की जाये तो विवाद का निबटारा हो सकता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को ही बहस मे अंकित किया तथा मौखिक अंकित किया कि प्रार्थी ने चारागाह भूमि मे दुकाने बना रखी है आबादी की तरमीम 5 बीघा 10 बिस्वा हो रखी है जबकि आवंटन 5 बीघा 5 बिस्वा का ही है। प्रार्थी ने आवंटन संबंधी कोई नक्शा भी प्रस्तुत नही किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षो ने सहमती व्यकत की जिसके निर्णय शिविर में करने हेतु प्रकरण निस्तार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया।

ग्राम सलावटिया के आ0नं0 516 रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा है। प्रार्थी ने जहा दुकाने बना रखी है वह दुकाने चारागाह भूमि में निर्मित है। ग्राम पंचायत सलावटिया के नाम आबादी में वर्ष 1978 में 5 बिस्वा आबादी आवंटन की गई जो जरिये नामानतरकरण संख्या 118 दिनांक 03.06.1978 दर्ज है एंव वर्ष 1983 में 5 बीघा भूमि आबादी में दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 242 वर्ष 1983 है। इस प्रकार कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु दर्ज है। जो तरमीम की गई है वह सही स्थान पर की गई है उसमें किसी प्रकार की दुरुस्ती किया जाना उचित नही है। आबादी की तरमीम 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में हो रही है जबकि आवंटन 5 बीघा 5 बिस्वा का ही है प्रार्थी ने आवंटन संबंधि कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ प्रेषित की जावे। उक्तानुसार पालना की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को सलावटिया मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

22/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प सलावटिया)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा